न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

[illegible] संख्या 3/2021

1. [illegible] स्त्री स्व0 कुरड़ा अली, जाति सब्जी फरोश मुसलमान, निवासी रोड़ नं0 2 व 3 के बीच, [illegible] नगर, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. [illegible] अली पुत्र स्व0 कुरड़ा अली, जाति सब्जी फरोश मुसलमान, निवासी रोड़ नं0 2 व 3 के बीच, [illegible] नगर, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. [illegible] सत्तार पुत्र स्व0 कुरड़ा अली, जाति सब्जी फरोश मुसलमान, निवासी रोड़ नं0 2 व 3 के बीच, [illegible] नगर, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. [illegible] अली पुत्र स्व0 ईल मोहम्मद, जाति सब्जी फरोश मुसलमान, निवासीगण बाकरा रोड़, वार्ड नं 22, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. [illegible] पुत्र स्व0 ईल मोहम्मद, जाति सब्जी फरोश मुसलमान, निवासीगण बाकरा रोड़, वार्ड नं. 22, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. [illegible] पुत्र स्व0 ईल मोहम्मद, जाति सब्जी फरोश मुसलमान, निवासीगण बाकरा रोड़, वार्ड नं. 22, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्टस

बनाम

1. [illegible] पुत्र अब्दुल गनी, जाति मुसलमान सब्जी फरोश, निवासी उमरदीन [illegible] के पास, बाकरा रोड़, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. [illegible] पुत्री स्व. कुरड़ाअली, जाति सब्जी फरोश मुसलमान, निवासी रोड़ नं0 2 व 3 के बीच, [illegible] झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. [illegible] पुत्री स्व. कुरड़ाअली, जाति सब्जी फरोश मुसलमान, निवासी रोड़ नं0 2 व 3 के बीच, [illegible] झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. [illegible] पुत्री स्व. कुरड़ाअली, जाति सब्जी फरोश मुसलमान, निवासी रोड़ नं0 2 व 3 के बीच, [illegible] झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. [illegible] ईल मोहम्मद, जाति सब्जी फरोश मुसलमान, निवासीगण रोड़ नं0 2 व 3 के बीच, [illegible] झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. [illegible] ईल मोहम्मद, जाति सब्जी फरोश मुसलमान, निवासीगण रोड़ नं0 2 व 3 के बीच, [illegible] झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. [illegible] ईल मोहम्मद, जाति सब्जी फरोश मुसलमान, निवासीगण रोड़ नं0 2 व 3 के बीच, [illegible] झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
8. [illegible] ईल मोहम्मद, जाति सब्जी फरोश मुसलमान, निवासीगण रोड़ नं0 2 व 3 के बीच, [illegible] झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
9. [illegible] अभिलेख) झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्टस

जिला कलक्टर झुंझुनूं

— — —

अपील अ0धारा 75 राज0 भू0–राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 24.12.2020 तहसीलदार भू–अभिलेख झुंझुनूं बाबत नामान्तरकरण संख्या 4369 ख0न0 3236 ग्राम/कस्बा

— — —

उपस्थित –

1. श्री राजेश पूनिया, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित
2. श्री आलोकशर्मा एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 9 की ओर से उपस्थित
4. रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 8 की ओर से बावजूद नोटिस तामिल कोई उपस्थित नही

आदेश

दिनांक 19.04.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार (भू–अभिलेख) झुंझुनूं के आदेश दिनांक 24.12.2020 नामान्तरकरण संख्या 4369, ख0न0 3236 वाके ग्राम कस्बा झुंझुनूं के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट के अनुसार जमीन हाल ख0न0 3236 रकबा 1.95 हैक्टर सरहद राजस्व कस्बा झुंझुनं में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के यहां रेस्पोडेन्ट मोहम्मद रफीक ने मुकदमा उनवानी मो0 रफीक बनाम बिस्मीला मु0न0 84/2018 मो0 रफीक ने पेश किया। जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 2 से 8 को बिना सुनवाई का अवसर दिये गलत रूप से दिनांक 28.02.2019 को निर्णय व डिक्री पारीत कर दी जिसके विरूद्व रेस्पोडेन्ट सं0 5 बतुल ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनूं के यहां अपील नं0 72/2020 दिनांक 24.12.2020 को पेश की जिसमें दिनांक 24.12.2020 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने मौका व रिकार्ड की यथास्थिति व विक्रय व नामान्तरण नहीं करने बाबत स्थगन आदेश जारी कर दिया जिसकी प्रति तहसीलदार झुंझुनूं व पटवारी हल्का झुंझुनूं के यहां प्रति उपलब्ध करवा दी। स्थगन के बावजूद भी अदालत मातहत ने नामान्तरकरण सं0 4369 दिनांक 24.12.2020 को स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्व मौजूदा अपील निम्न आधारों पर पेश है कि अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण सं0 4369 के बाबत पारित निर्णय दिनांक 24.12.2020 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। जमीन हाल ख0न0 3236 कस्बा झुंझुनूं का पहले खातेदार जानी पुत्र अलाबक्स कौम कुजड़ा था। उक्त जानी के दो पुत्र ईल मोहम्मद व कुरड़ा अली थे तथा उक्त जानी के देहान्त होने के बाद उक्त जमीन उत्तराधिकार में उसके पुत्र ईल मोहम्मद व कुरड़ा अली को सयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई तथा प्रत्येक का उक्त जमीन में 1/2 हक प्राप्त हुआ। जानी के पुत्र ईल मोहम्मद व कुरड़ा अली दोनो का देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट नं0 1 लगायत 3 व रेस्पोडेन्ट नं0 2 से 5 उक्त कुरड़ा अली के वारिस है। अपीलान्ट नं0 4 से 6 व रेस्पोडेन्ट नं0 6 लगायत 9 उक्त ईल मोहम्मद के वारिस है। ईल मोहम्मद के देहान्त होने के बाद उसके 1/2 हक हिस्से की जमीन उत्तराधिकार में उसके वारिसान को प्राप्त हुई तथा कुरड़ा अली के देहान्त होने के बाद उसके 1/2 हक हिस्से की जमीन उसके वारिसान को संयुक्त रूप से प्राप्त हुई एवं इसी मुताबिक काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने फर्जी अपंजीकृत लिखावट/यादास्त/दान पत्र दिनांकित 02.01.2007 के आधार पर अदालत मातहत के समक्ष झूंठा घोषणा का दावा पेश किया। कानून से प्रथम श्रेणी के जायज वारिसान को सम्पति से वंचित करने के लिये किसी अजनबी व्यक्ति के हक मैं अपंजीकृत रूप या लिखित दान नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने दानपत्र दिनांकित 02.01.2007 कूटरचित व फर्जी तैयार किया है। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा

[illegible] अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत [illegible] तहसीलदार (भू–अभिलेख) झुंझुनूं द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 4369 दिनांकित 24.12. [illegible] निरस्त किया जावे।

[illegible] पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों [illegible] की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि जमीन हाल ख0न0 3236 कस्बा झुंझुनूं का पहले खातेदार [illegible] अल्लाबक्स कौम कुजड़ा था। उक्त जानी के दो पुत्र ईल मोहम्मद व कुरड़ा अली पैदा हुये। [illegible] जानी के देहान्त होने के बाद उक्त जमीन उत्तराधिकार में उसके पुत्र ईल मोहम्मद व कुरड़ा [illegible] को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई तथा प्रत्येक का उक्त जमीन में 1/2 हक हिस्सा [illegible] जानी के पुत्र ईल मोहम्मद व कुरड़ा अली दोनो का देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट नं0 1 से 3 [illegible] नं0 2 से 5 उक्त कुरड़ा अली के वारिस है। अपीलान्ट नं0 4 से 6 व रेस्पोडेन्ट नं0 5 से 8 [illegible] मोहम्मद के वारिस है। ईल मोहम्मद के देहान्त होने के बाद उसके 1/2 हक हिस्से की [illegible] उत्तराधिकार में उसके वारिसान को प्राप्त हुई तथा कुरड़ा अली के देहान्त होने के बाद उसके [illegible] हिस्से की जमीन उसके वारिसान को संयुक्त रूप से प्राप्त हुई एवं इसी मुताबिक काबिज [illegible] रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने फर्जी अपंजीकृत लिखावट/यादास्त/दान पत्र दिनांकित 02.01.2007 के [illegible] अदालत मातहत के समक्ष झूंठा घोषणा का दावा पेश किया। कानून से मुस्लिम विधि में [illegible] को सम्पति से वंचित करने के लिये किसी अजनबी व्यक्ति के हक में मौखिक दान या [illegible] नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने दानपत्र दिनांकित 02.01.2007 कूटरचित व [illegible] किया है। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते।अतः [illegible] अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार (भू–अभिलेख) झुंझुनूं द्वारा स्वीकृत [illegible] संख्या 4369 दिनांकित 24.12.2020 निरस्त किया जावे।

[illegible] के दौरान वकील रेस्पो0 सं0 1 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत [illegible] जमीन हाल ख0न0 3236 बाद जांच नियमानुसार भरा गया है। विवादित भूमि के संबंध मे तक [illegible] अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार (भू–अभिलेख) [illegible] स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 4369 दिनांकित 24.12.2020 यथावत रखा जावे।

[illegible] राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 9 ने अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत [illegible] विवादित भूमि के कम मे अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 24. [illegible] पारित किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

[illegible] पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में [illegible] द्वारा नामान्तकरण संख्या 4369 दिनांक 24.12.2020 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] मुकदमा संख्या 84/2018 में निर्णय दिनांक 28.02.2019 की पालना में दर्ज किया गया है। [illegible] पक्षकारान के तर्क निम्न प्रकार से रहे है यथा :–

[illegible] का तर्क यह है कि विवादित नामान्तरकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के [illegible] दिनांक 28.02.2019 की पालना में दिनांक 24.12.2020 को स्वीकृत हुआ है। उक्त [illegible] के आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनू के यहां [illegible] 72/2020 दिनांक 24.12.2020 को पेश की जिसमें दिनांक 24.12.2020 को [illegible] द्वारा स्थगन आदेश जारी कर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति व विकय व हस्तान्तरण [illegible] बाबत स्थगन आदेश जारी कर दिया था। उक्त स्थगन आदेश के बावजूद अदालत [illegible] ने नामान्तरण तस्दीक किया है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे [illegible] हो सके की उक्त स्थगन की सूचना अदालत मातहत को दिनांक 24.12.2020 कर दी

अतः अपीलान्ट का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है। उक्त नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.12.2020 को दर्ज कर लिया गया था तथा आई.एल.आर. द्वारा दिनांक 23.12.2020 को तामिल आदेश के नामान्तकरण का अंकन सही माना है।

नामान्तकरण की कार्यवाही एक Fiscal Act है जिससे हक अधिकार तय नहीं होते है। पक्षकारान को अपने हकूक तय कराने हेतु पहले से ही समक्ष न्यायालय में वाद विचाराधीन चल रहा है। अब सवाल नामान्तरकरण 4369 पर पारित आदेश दिनांक 24.12.2020 का विधिसम्मत् होने का बचता है। उक्त नामान्तरकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के आदेश दिनांक 28.02. 2020 की पालना में दर्ज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार त्रुटि नहीं रही है।

उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्टस स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। रिकार्ड मातहत मय निर्णय की प्रति के प्रेषित हो। रजिस्टरी नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 19.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

19/04/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं